



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 04 मार्च, 2025

थाना सिकन्द्राबाद

गैंगस्टर में वांछित 02 अभियुक्त 02 अवैध असलहा व कारतूस सहित गिरफ्तार

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 04.03.2025 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा गैंगस्टर में वांछित 02 अभियुक्तों को 02 अवैध असलहा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनो अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी/गैंगस्टर हैं, जो थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत मुअसं- 206/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 215/25 व 217/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. दिनेश पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम मण्डावरा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. हरपाल उर्फ गुड्डू पुत्र हर्दवारी निवासी ग्राम मण्डावरा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त दिनेश का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 254/23 धारा 380/457/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।
2. मुअसं- 403/23 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।
3. मुअसं- 508/23 धारा 398/401 भादवि व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।
4. मुअसं- 206/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।
5. मुअसं- 215/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।

अभियुक्त हरपाल उर्फ गुड्डू का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 254/23 धारा 380/457/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।
2. मुअसं- 403/23 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।
3. मुअसं- 508/23 धारा 398/401 भादवि व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।
4. मुअसं- 206/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।
5. मुअसं- 217/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ॥

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री अनिल कुमार शाही थाना प्रभारी सिकन्द्राबाद
2. उ0नि0 कृष्ण कुमार गौतम, उ0नि0 कौमल सिंह, उ0नि0 आनन्द कुमार, उ0नि0 वसीम अहमद
3. है0का0 विनीत, का0 राजकुमार, का0 विशाल कुमार, का0 रविन्द्र कुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर